अनुबंध II
[पैरा 7]

विवेकपूर्ण मानदंड - सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार

I. घरेलू परिचालन

ए. निधिक जोखिम आस्तियाँ

		आस्तियों की मदें	जोखिम भार
I	**शेष जमाराशियाँ**		
	1	आरबीआई के पास नकदी एवं शेष	0
	2	अन्य बैंकों के चालू खाते में शेष	20
	3	बैंकों के पूंजीगत साधनों में निवेश के अतिरिक्त अन्य दावे (एचएफटी और एएफएस श्रेणी के बाहर रखे)	20
II	**निवेश**		
	1	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	2	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	3	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की वापसी की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। (इसमें इंदिरा / किसान विकास पत्र (आईवीपी / केवीपी) में निवेश और बांड और डिबेंचर में निवेश शामिल होंगे जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की वापसी की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है)	2.5
	4	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की वापसी की गारंटी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। नोट: प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान अथवा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है और जो गैर-निष्पादित निवेश बन गया है, में 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।	2.5
	5	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती गारंटी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है	22.5
	6	सरकारी उपक्रमों की सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश जो अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं	22.5
	7	बैंकों के पूंजीगत लिखतों (एचएफटी अथवा एएफएस श्रेणी में धारित) में निवेश के अतिरिक्त अन्य दावे	22.5
	8	प्रतिभूतियों में निवेश जो ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती के संबंध में बैंकों द्वारा गारंटीकृत हैं	22.5

	9	सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई) द्वारा उनकी टियर 2 पूंजी के लिए जारी किए गए बांड में निवेश	102.5
	10	पीएफआई द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश सहित अन्य सभी निवेश	102.5
	11	इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बांडों, डिबेंचर, बैंकों के पूंजीगत लिखत और इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनमें पूंजी बाजार एक्सपोजर से छूट प्राप्त इकाइयां भी शामिल हैं	127.5
III	**खरीदे गए और भुनाए गए बिलों और अन्य क्रेडिट सुविधाओं सहित ऋण और अग्रिम**		
	1	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण और अग्रिम नोट: (i) केंद्र सरकार के एक्सपोजर के दावों पर लागू जोखिम भार भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआईसीजीसी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) तथा निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के अंतर्गत व्यक्तिगत योजनाओं के दावों पर भी लागू होगा, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित हैं। (ii) उपरोक्त उल्लिखित शून्य प्रतिशत का जोखिम भार सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा अथवा भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत जोखिमों के संबंध में लागू होगा, जो **अनुबंध II के परिशिष्ट** में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं।	0
	2	राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण	20
	3	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जो अनर्जक आस्तियां बन गया है	100
	4	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
	5	राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
	6	पीएफआई सहित अन्य	100
	7	ऋण जोखिम के प्रयोजन के लिए, एल.सी. के अंतर्गत खरीदे गये / भुनाया/ परक्रामितबिलों (जहां लाभार्थी को भुगतान आरक्षित नहीं है) को एल.सी. जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जोखिम भार सौंपा जाता है, जैसा कि सामान्यतः अंतर-बैंक एक्सपोजर पर लागू होता है।	20
	8	रिज़र्व के अंतर्गत एल.सी. के परक्रामित बातचीत किए गए बिल, एल.सी. के बिना खरीदे गये/भुनाये गये/ परक्रामित बिल, उधारकर्ता घटक पर एक्सपोजर के रूप में माने जाएंगे। तदनुसार, जोखिम उधारकर्ता के लिए उपयुक्त जोखिम भार को आकर्षित करेगा।	
		(i) सरकार	0

		(ii)	बैंक	20
		(iii)	अन्य	100
	9	वैयक्तिक को आवास ऋण		
		ऋण की श्रेणी	एलटीवी अनुपात (%)	
		(ए) ₹ 20 लाख तक	90	50
		(बी) ₹ 20 लाख से अधिक और ₹ 75 लाख तक	80	50
		(सी) ₹ 75 लाख से अधिक	75	75
	10	उपभोक्ता ऋण, जिसमें वैयक्तिक ऋण शामिल हैं, परंतु आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और सोने तथा सोने के आभूषणों द्वारा जमानती ऋण शामिल नहीं हैं।		125
	11	सूक्ष्म वित्त ऋण		100
	12	वाहन ऋण		100
	13	सोने और चांदी के आभूषणों पर 1 लाख रुपये तक का ऋण		50
	14	सोने और चांदी के आभूषणों पर ₹ 1 लाख से अधिक का ऋण नोट: संपूर्ण ऋण राशि का जोखिम भार 100% होना चाहिए		100
	15	शिक्षा ऋण		100
	16	शेयरों/डिबेंचर की प्राथमिक/समर्थक जमानत पर दिए गए ऋण		125
	17	डीआईसीजीसी /ईसीजीसी द्वारा कवर किए गए अग्रिम नोट: 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होना चाहिए, न कि खातों में संपूर्ण बकाया राशि तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि पर 100% जोखिम भार होगा।		50
	18	सावधि जमा, जीवन बीमा पॉलिसियों, एनएससी, आईवीपी और केवीपी के लिए अग्रिम जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो		0
	19	अपने कर्मचारियों को आरआरबी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम		20
	20	अंतरण (टेकआउट) वित्त		
		(i) बिना शर्त अधिग्रहण (ऋण देने वाली संस्था की बही में)		
		(ए)	जहां पूर्ण ऋण जोखिम अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाता है	20
		(बी)	जहां संस्था को अधिग्रहित करके केवल आंशिक ऋण जोखिम ग्रहण किया जाता है	
			(i) राशि ली जाने वाली	20
			(ii) वह राशि जो नहीं ली जानी है	100

		(ii) सशर्त अधिग्रहण (ऋण देने और अधिग्रहण करने वाली संस्था की बही में)	100
		नोट: जोखिम भार के निर्धारण के उद्देश्य से उधारकर्ता के कुल वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया जोखिम पर समायोजित ('नेट-ऑफ') कर सकते हैं -	
		(ए) नकद मार्जिन अथवा जमा राशि द्वारा संपार्श्विक अग्रिम,	
		(बी) उधारकर्ता के चालू अथवा अन्य खातों में जमा शेष राशि जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं है और किसी ग्रहणाधिकार से मुक्त है,	
		(सी) किसी भी ऐसी आस्ति के संबंध में जहां मूल्यह्रास अथवा अशोध्य कर्ज के लिए प्रावधान किए गए हैं,	
		(डी) डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी से प्राप्त दावों को समायोजन तक एक अन्य खाते में रखा जाएगा, यदि इन्हें संबंधित खातों में शेष राशि पर समायोजित नहीं किया जाता है,	
		(ई) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को अलग खाते में रखा जाता है।	
IV	**अन्य आस्तियां**		
	1	परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर (विषयवस्तु)	100
	2	सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
	3	आरबीआई के पास रखे गए सीआरआर शेष राशि पर उपचित ब्याज - @ ऐसे लेनदेन के कारण बैंकों पर सरकार/ आरबीआई के दावों को घटाकर	0
	4	स्रोत पर आयकर कटौती (प्रावधान के बाद)	0
	5	अग्रिम कर का भुगतान (प्रावधान के बाद)	0
	6	स्टाफ ऋण पर प्राप्य ब्याज	20
	7	बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज	20
	8	भारत सरकार से प्राप्त होने वाली ब्याज सहायता	0
	9	अन्य सभी आस्तियां	100
V	**खुली स्थिति (ओपन पोजीशन) पर बाजार जोखिम**		
	1	विदेशी मुद्रा खुली स्थिति पर बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत व्यापारों पर लागू)	100
	2	खुले सोने की स्थिति पर बाजार जोखिम	100

नोट: टियर 1 पूंजी से कटौती की गई गए अमूर्त आस्तियों और हानि को शून्य भार दिया जाना चाहिए।

बी. तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदें

तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों से जुड़े क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर की गणना सबसे पहले तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों में से प्रत्येक के अंकित मूल्य को 'ऋण संपरिवर्तन कारक' से गुणा करके की जानी चाहिए, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है। इसके बाद इसे ऊपर निर्दिष्ट सुसंगत प्रतिपक्षकार को दिए जाने वाले भार से पुनः गुणा करना होगा।

क्र सं.	लिखत	ऋण रूपांतरण कारक (%)
1	प्रत्यक्ष ऋण विकल्प जैसे, ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करने वाले अतिरिक्त वैकल्पिक (स्टैंडबाय) एल/सी सहित) और स्वीकृतियां (स्वीकृति के स्वरूप के साथ समर्थन सहित)	100
2	कुछ लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मदें (जैसे, निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन से संबंधित वैकल्पिक (स्टैंडबाय) एल/सी)	50
3	अल्पावधि स्व-परिसमापन व्यापार-संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे अंतर्निहित शिपमेंट द्वारा संपार्श्विक दस्तावेजी क्रेडिट)	20
4	बिक्री और पुनर्खरीद करार और रिकोर्स के साथ आस्ति की बिक्री, जहां ऋण जोखिम बैंक के पास रहता है	100
5	अग्रिम आस्ति खरीद, अग्रिम जमा और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर और प्रतिभूतियां, जो निश्चित निकासी के साथ प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं	100
6	नोट जारी करने की सुविधाएं और परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं	50
7	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली अन्य प्रतिबद्धताएं (जैसे, औपचारिक अतिरिक्त वैकल्पिक (स्टैंडबाय) सुविधाएं और क्रेडिट लाइनें)	50
8	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली समान प्रतिबद्धताएं, अथवा जिन्हें किसी भी समय बिना शर्त रद्द किया जा सकता है। नोट: बैंकिंग प्रणाली से **150** करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले उधारकर्ताओं के संबंध में, स्वीकृत नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा का न निकाला गया हिस्सा, चाहे बिना शर्त रद्द योग्य हो अथवा नहीं, 20 प्रतिशत का ऋण संपरिवर्तन कारक आकर्षित करेगा।	0
9	(i) बैंकों द्वारा जारी की गई अन्य बैंकों की प्रति-गारंटियों पर गारंटियां	20
	(ii) बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजी बिलों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल जिन्हें किसी अन्य बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें बैंक पर निधिक दावे के रूप में माना जाएगा।	20

क्र सं.	लिखत	ऋण रूपांतरण कारक (%)
	नोट: इन मामलों में, बैंकों को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि जोखिम वास्तव में दूसरे बैंक पर है।	
10	मूल परिपक्कता की कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएँ * –	
	(ए) 14 कैलेंडर दिनों से कम	0
	(बी) 14 कैलेंडर दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	2
	(सी) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष अथवा उसके भाग के लिए	3
	* यदि बैंक ने नीचे **भाग II** के अनुसार द्विपक्षीय निवल निर्धारण दिशा-निर्देश को अपनाया है, तो विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए ऋण संपरिवर्तन कारक (सीसीएफ) नीचे **भाग II** में दूसरी सारणी में दिए गए अनुसार होगा और 14 कैलेंडर दिनों अथवा उससे कम की मूल परिपक्कता वाले विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ लागू नहीं होगा।	

नोट: वर्तमान में, आरआरबी अधिकांश तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली लेनदेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि, विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों पर जोखिम-भार दर्शाया गया है, जिसे शायद बैंक भविष्य में अपना सकते हैं।

II. अतिरिक्त जोखिम भार (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)

1. विदेशी विनिमय संविदाएं

ए) विदेशी विनिमय संविदाओं में निम्नलिखित शामिल है:

(i) पारस्परिक मुद्रा स्वैप

(ii) वायदा विदेशी विनिमय संविदाएं

(iii) मुद्रा फ्यूचर्स

(iv) खरीदे गए मुद्रा विकल्प

(v) समान प्रकार की अन्य संविदाएं

बी) जैसा कि अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में किया जाता है, नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा:

(i) **चरण 1 -** प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशि को नीचे दिए गए परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	2%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	5% (अर्थात, 2% + 3%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	3%

इस अनुबंध के पैरा II.3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदाएं लागू होती हैं, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिवर्तन कारक लागू होंगे*:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	1.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	3.75% (अर्थात, 1.5% + 2.25%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	2.25%

(ii) **चरण 2 -** जैसा कि ऊपर पैरा I.ए में दिया गया है, इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

*टिप्पणी: वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं और अन्य समान संविदाओं जिसमें काल्पनिक मूलधन नकदी प्रवाह के बराबर है, के लिए नेटिंग प्रतिपक्ष को क्रेडिट एक्सपोज़र की गणना के प्रयोजनों हेतु मूल क्रेडिट रूपांतरण कारक (अर्थात, द्विपक्षीय नेटिंग के प्रभाव पर विचार किए बिना) को सांकेतिक मूलधन पर लागू किया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर देय होने वाली निवल प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी स्थिति में उपर्युक्त घटाए गए कारकों को निवल काल्पनिक राशियों पर लागू नहीं किया जाए।

2. ब्याज दर संविदाएं

ए) ब्याज दर संविदाओं में निम्नलिखित शामिल है:

(i) एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप

(ii) बेसिस स्वैप

(iii) वायदा दर करार

(iv) ब्याज दर फ्यूचर्स

(v) खरीदे गए ब्याज दर विकल्प

(vi) समान प्रकार की अन्य संविदाएं

बी) जैसा कि अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में किया जाता है, नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा:

(i) **चरण 1 -** प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशि को नीचे दिए गए परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1%
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1%

इस अनुबंध के पैरा II.3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदाएं लागू होती हैं, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिवर्तन कारक लागू होंगे:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.35%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	0.75%
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	0.75%

(ii) **चरण 2 -** जैसा कि ऊपर पैरा I.ए में दिया गया है, इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

टिप्पणी: किसी विशेष लेनदेन के लिए जोखिम भार निर्धारित करने में किसी अनिश्चितता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

3. द्विपक्षीय नेटिंग संविदा की मान्यता हेतु अपेक्षा:

ए) बैंक निवल लेन-देन कर सकते हैं, जिसके तहत बैंक और उसके प्रतिपक्ष के बीच किसी दिए गए मूल्य की तारीख पर किसी मुद्रा को वितरित करने का कोई दायित्व, विधिक रूप से पिछले सकल दायित्व के लिए एक एकल राशि को प्रतिस्थापित करते हुए स्वचालित रूप से उसी मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है।

बी) बैंक निवल लेन-देन भी कर सकते हैं बशर्ते वे (ए) में शामिल नहीं किए गए द्विपक्षीय नेटिंग के किसी भी विधिक रूप से वैध हो, जिसमें अन्य प्रकार के नवप्रवर्तन भी शामिल हैं।

सी) दोनों मामलों (ए) और (बी) में बैंक को यह संतुष्ट करना होगा कि उसके पास:

(i) प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग संविदा या समझौता जो एक एकल विधिक दायित्व बनाता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन शामिल हैं, जैसे कि बैंक के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या प्रतिपक्षकार द्वारा चूक, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियों में से किसी भी कारणवश कार्य-निष्पादन करने में विफल रहने की स्थिति में शामिल व्यक्तिगत लेनदेन के धनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के केवल निवल योग का भुगतान करने का दायित्व होगा।

(ii) लिखित और तर्कसंगत विधिक राय है कि, विधिक चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतों और प्रशासनिक प्राधिकरणों को इस तरह की बैंकों का एक्सपोज़र ऐसी निवल राशि के तहत मिलेगा:

- अधिकार क्षेत्र की विधि जिसमें प्रतिपक्षकार सनदी है और यदि प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल है, तो उस अधिकार क्षेत्र, जिसमें शाखा स्थित है, की विधि के तहत भी;
- व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करने वाली विधि; और
- नेटिंग को प्रभावित करने के लिए आवश्यक किसी भी संविदा या करार को नियंत्रित करने वाली विधि।

(iii) प्रासंगिक कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्था की विधिक विशेषताओं की समीक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं।

डी) इन दिशानिर्देशों के तहत पूंजी आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य से नेटिंग के लिए विनिर्मग खंड (वॉकअवे क्लॉज) वाले अनुबंध पात्र नहीं होंगे। विनिर्मग खंड (वॉकअवे क्लॉज) एक ऐसा प्रावधान है जो एक गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार को यह अनुमति देता है कि वे चूककर्ता की आस्ति के लिए, केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति दता है, भले ही चूककर्ता एक निवल लेनदार हो।